वित्त मंत्रालय

# सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई ने पुणे में एक उच्च तकनीक वाली एमडी मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया; कई शहरों में हुए 'ऑपरेशन वज्र' के अंतर्गत उज्जैन और जोधपुर से दो प्रमुख साजिशकर्ता गिरफ्तार किए गए

Posted On: 13 JUL 2026 8:21PM by PIB Delhi

कई राज्यों में कृत्रिम मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ एक बड़ी सफलता में, **केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की मध्य प्रदेश इकाई** ने **ऑपरेशन *वज्र*** के अंतर्गत महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक अत्याधुनिक **मेफेड्रोन (एमडी) मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला** का भंडाफोड़ किया और गिरोह के दो प्रमुख साजिशकर्ताओं को **उज्जैन (मध्य प्रदेश)** और **जोधपुर (राजस्थान)** से गिरफ्तार किया।

यह अभियान विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, **सीबीएन, नीमच स्थित उप नारकोटिक्स कमिश्नर कार्यालय की निवारक शाखा** की ओर से चलाया गया। जांच और इससे जुड़े अभियान **1-10 जुलाई 2026** के बीच संचालित किए गए।

इस अभियान के दौरान, सीबीएन अधिकारियों ने पुणे में एक अत्याधुनिक अवैध एमडी मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला जब्त की, जिसमें अत्याधुनिक मशीनरी, प्रयोगशाला उपकरण, पूर्व-रासायनिक रसायन और सिंथेटिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किए गए सुरक्षा उपकरण भी बरामद हुए। प्रमुख साजिशकर्ताओं के साथ दो आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।

यह अभियान **फरवरी 2026** में शुरू की गई जांच का ही अगला चरण है, जहां सीबीएन नीमच ने **मंदसौर** में एक यात्री बस को रोका था और **8.17 किलोग्राम मेफेड्रोन** जब्त किया था। इसके बाद की तलाशी में **महू के थावले** में एक अवैध प्रयोगशाला का पता चला, जिसके चलते **43.82 किलोग्राम मेफेड्रोन, 261.32 किलोग्राम पहले से तैयार किया गया केमिकल** और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग उपकरण जब्त किए गए।

लगातार मिलने वाले खुफिया जानकारी और व्यापक अंतर्राज्यीय जांच के आधार पर, निवारक दल ने फरार मास्टरमाइंड का पता लगाया, जो जाली पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कई राज्यों में लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। इस गुप्त अभियान के बाद, **उज्जैन (मध्य प्रदेश) पुलिस की बहुमूल्य मदद** से आरोपी को **3 जुलाई 2026** की देर रात **उज्जैन** से सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया।

विस्तृत जांच के दौरान पता चला कि इस गिरोह ने **पुणे के भोसरी जिले के दिग्गी** में एक और अत्याधुनिक एमडी मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र लगाया था, जिसे जोधपुर स्थित एक सह-साजिशकर्ता की ओर से वित्तपोषित और समन्वित किया जा रहा था। त्वरित कार्रवाई करते हुए, सीबीएन की टीमों ने 9 जुलाई 2026 की देर रात पुणे और **जोधपुर** में एक साथ तलाशी अभियान चलाया, जिसमें दूसरे सह-साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर गुप्त प्रयोगशाला को नष्ट किया गया। इस अभियान के दौरान अत्याधुनिक डिजिटल मशीनरी, प्रयोगशाला उपकरण, कांच के भारी बर्तन, रसायन और सुरक्षा उपकरण जब्त किए गए। जब्त की गई सभी मशीनरी, उपकरण और केमिकल को **एनडीपीएस अधिनियम, 1985** के प्रावधानों के तहत कब्जे में लिया गया है। आगे की जांच जारी है।

**केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन)** वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक नियामक और कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो अफीम पोस्त की वैध खेती की निगरानी करती है, लाइसेंस प्राप्त किसानों से फसल की खरीद करती है और मनोरोगी पदार्थों व पूर्ववर्ती रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करती है। ग्वालियर में मुख्यालय स्थित सीबीएन, इस सख्त नियामक निगरानी को सक्रिय मादक पदार्थ प्रवर्तन के साथ संतुलित करती है, मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की जांच करती है और तस्करी व मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अवैध दवाओं और संपत्तियों को जब्त करती है।

मौजूदा वर्ष में, **सीबीएन** ने **142 मामले** दर्ज किए हैं और **चार गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ करने के साथ-साथ 193 गिरफ्तारियां** की हैं। इस प्रकार की लगातार कार्रवाई के जरिए, सीबीएन संगठित मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को नष्ट करने और **नशा मुक्त भारत** के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन जारी रखे हुए है।

***

**पीके/केसी/एमएम/एसएस**

(Release ID: 2284311) Visitor Counter : 324
Read this release in: English , Gujarati , Urdu , Marathi , Punjabi , Telugu